न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्ष- सतीश कुमार गुप्ता)

<u>आप0 पुन0 याचिका क्र.—21 / 17</u> <u>प्रस्तृति दिनांक-11/03/2017</u>

सुल्तान सिंह पुत्र हुकुम सिंह उर्फ हुकमू जाति जाटव निवासी ग्राम पाली (डिरमन) तहसील गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>निगरानीकर्ता</u>

/ / विरूद्ध / /

- WIND N Pare 1.नरेंद्र सिंह पुत्र मलखान सिंह 2.अरविंद सिंह पुत्र मलखान सिंह उक्त दोनों जाति जाट ठाकुर, निवासी ग्राम पाली (डिरमन) तहसील गोहद जिला भिण्ड (ਸ0प्र0)
 - 3.श्री आशीष वशिष्ठ अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

–प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानीकर्ता की ओर से — श्री जी०एस० निगम अधिवक्ता। प्रतिनिगरानीकर्ता कं. 1 व 2 की ओर से – श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता।

प्रतिनिगरानीकर्ता कं. 3 की ओर से – पूर्व से अनुपस्थित होने से कोई नहीं।

<u>//आदेश///</u>

(आज दिनांक 01.05.2018 को पारित)

निगरानीकर्ता की ओर से धारा 399 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत यह 01. दांडिक पुनरीक्षण याचिका, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद जिला भिण्ड के द्वारा उनके यहां के प्रकरण क्रमांक 13/2015 धारा 145 जा०फौ० (अरविंद सिंह व अन्य विरुद्ध सुल्तान सिंह) में दिनांक 08.03.2017 को पारित आलोच्य आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा ग्राम पाली (डिरमन) स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 2099 एवं 2136 (अत्र पश्चात केवल विवादित भूमि) के संबंध में निगरानीकर्ता सुल्तान सिंह के विरुद्ध इस आशय का आदेश पारित किया गया है कि वह विवादित भूमि पर प्रतिनिगरानीकर्ता कमांक 1 व 2 (अत्र पश्चात केवल प्रतिनिगरानीकर्तागण) के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से विरत रहे।

- निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका संक्षेप में इस प्रकार है 02. कि निगरानीकर्ता ने अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 2099 व 2136 रकवा क्रमशः 1.00 व 0.67 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 1.67 हेक्टेयर बांके स्थित ग्राम पाली (डिरमन) तहसील गोहद में से हिस्सा 1/3 अर्थात् 0.55 हेक्टेयर भूमि का लिखित सशर्त विक्रय पत्र प्रतिनिगरानीकर्तागण नरेंद्र सिंह व अरविंद सिंह के हित में दिनांक 07.06.2005 को 77000 / - रूपया प्राप्त कर निष्पादित किया था। उक्त सशर्त विक्रय पत्र के अनुसार कब्जा विवादित भूमि पर विक्रेता का रहेगा तथा 2 रूपया प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से विकेता उक्त मूल धन पर ब्याज अदा करेगा तथा 3 वर्ष के अंदर मूलधन व ब्याज एक मुश्त अदा कर अपनी भूमि को बंधक से मोचन करा लेगा और सशर्त विक्रय पत्र शून्य हो जायेगा। निगरानीकर्ता के द्वारा नियत अवधि के अंदर दिनांक 05.05.2008 को अपने गांव में पंचों के समक्ष प्रतिनिगरानीकर्तागण से कहा था कि तहसील न्यायालय में चलकर उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही करो और अपने पूरे रूपये ब्याज सहित प्राप्त कर लो, तब प्रतिनिगरानीकर्तागण ने यह कहा था कि वे गांव में चार पंचों के समक्ष रूपये प्राप्त कर रहे हैं व तहसील न्यायालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है एवं वह अपनी भूमि पर खेती करता रहे। इस कारण निगरानीकर्ता ने प्रतिनिगरानीकर्तागण के उपर विश्वास करते हुये ब्याज सहित मूलधन 120000 / — रूपया प्रतिनिगरानीकर्तागण को अपने ही गांव में पंचों के समक्ष वापस कर दिये थे।
- 03. उक्त निगरानी याचिका में निगरानीकर्ता का आगे कहना है कि

प्रतिनिगरानीकर्तागण ने सशर्त विकय पत्र होने के 6 माह बाद अपना नामांतरण विवादित भूमि पर पंजी क्रमांक 11/1—1—2006 आदेश दिनांक 26.01.2006 से निगरानीकर्ता की जानकारी के बिना बेईमानी से करा लिया है, जिसकी निगरानीकर्ता को जानकारी वर्ष 2011 में उस समय हुई जब प्रतिनिगरानीकर्तागण ने उससे यह कहा कि उन्होंने विवादित भूमि पर अपना नामांतरण करा लिया है, इसलिये वे ही खेती करेंगे। इस कारण निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष नामांतरण निरस्त कराने बावत अपील प्र०क० 55/2011—2012 प्रस्तुत की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि बाधित मानते हुये दिनांक 05.05.2014 को निरस्त कर दिये जाने पर निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद के समक्ष व्यवहार वाद प्र०क० 110/2015 प्रस्तुत किया।

उक्त निगरानी याचिका में निगरानीकर्ता का आगे कहना है कि 04. उक्त व्यवहार वाद में सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.14 को आवेदक / निगरानीकर्ता के अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 को स्वीकार कर प्रतिनिगरानीकर्तागण को निर्देशित किया गया है कि वे प्रकरण के अंतरिम निराकरण तक अथवा अग्रिम आदेश होने तक विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता के कब्जा बर्ताव में बाधा उत्पन्न न करें। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा न्यायालय द्वितीय अपर जिला जज गोहद के समक्ष विविध अपील प्र०क0 49/14 प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 16. 05.2015 को उक्त अपील निरस्त की गई है। उक्त आदेश के विरूद्ध भी प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 4059 / 15 प्रस्तुत किये जाने पर वह दिनांक 18.01. 2017 को निरस्त की गई है और व्यवहार न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद का उक्त आदेश दिनांकित 19.08.14 को विविध अपील में एवं रिट पिटीशन में यथावत रखा गया है, जो अभी तक किसी भी आदेश से निष्प्रभावी नहीं हुआ है, लेकिन उक्त समस्त आदेशों की जानकारी होते हुये प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के समक्ष धारा 145 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही प्र0क0 13/2015 के रूप में संचालित की गई है और अवैध रूप से की गई उक्त कार्यवाही में अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद ने भी व्यवहार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुये विवादित भूमि के संबंध में निगरानीकर्ता सुल्तान सिंह के विरूद्ध इस आशय का आदेश पारित किया गया है कि वह विवादित भूमि पर प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 व 2 के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से विरत रहे, जो कि विधि एवं तथ्य के कदापि अनुरूप नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः उक्त आदेश से व्यथित होकर उसे निरस्त किये जाने हेतु निगरानीकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है।

- 05. प्रतिनिगरानीकर्तागण क्रमांक 1 व 2 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने पारित आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना दर्शाते हुए निगरानीकर्ता की पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है एवं प्रकरण में प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 3 नोटिस की तामीली उपरांत अनुपरिथत रहा है।
- 06. निगरानीकर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये गये एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के प्रकरण क0 13/2015 धारा 145 जा०फौ० (अरविंद सिंह व अन्य विरुद्ध सुल्तान) के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- 07. प्रकरण के निराकरण के लिये विचारणीय प्रश्न निम्न है :--
 - 01. क्या योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के द्वारा प्रकरण क0 13/2015 धारा 145 जा०फौ० (अरविंद सिंह व अन्य विरूद्ध सुल्तान जाटव) में दिनांक 08. 03.2017 को आलोच्य आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो कि शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है ?

।। सकारण निष्कर्ष।।

08. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर

अत्यधिक जोर दिया है कि विवादित भूमि के संबंध में स्वत्व व आधिपत्य की ह ोषणा सिहत स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु उभयपक्ष के मध्य पूर्व से प्रचलित सिविल प्रकरण कमांक 49—ए/14 में व्यवहार न्यायालय द्वारा पूर्व से दिये गये निष्कर्षों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद द्वारा प्रकरण क0 13/2015 धारा 145 जा0फौ0 (अरविंद सिंह व अन्य विरुद्ध सुल्तान सिंह) में दिनांक 08.03.2017 को विधि एवं तथ्य के विपरीत अवैध रूप से आलोच्य आदेश बिना किसी अधिकारिता के पारित किया गया है, जो कि कदापि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, जबिक प्रतिनिगरानीकर्ता कमांक 1 व 2 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्य के अनुरूप होकर विधि सम्मत होने से उक्त याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

- उक्त संबंध में उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये इस 09. निगरानी प्रकरण सहित अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 के 13 / 2015 व धारा 145 जा0फौ0 (अरविंद सिंह व अन्य विरूद्ध सुल्तान सिंह) के संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन करने पर पाया जाता है कि प्रतिनिगरानीकर्तागण नरेंद्र सिंह व अरविंद सिंह की ओर से धारा 145 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दिनांक 12.12.15 को न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से दर्ज राजस्व प्रकरण कृमांक 13 / 2015 धारा 145 जा0फौ० अरविंद सिंह व अन्य विरूद्ध सुल्तान सिंह में योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस एवं पटवारी के प्रतिवेदन पर से दिनांक 08.03.2017 को धारा 145 जा0फी0 के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही को समाप्त करते हुये निगरानीकर्ता सुल्तान सिंह के विरूद्ध इस आशय का आदेश पारित किया गया है कि ग्राम पाली (डिरमन) स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 2099 एवं 2136 के संबंध में वह विवादित भूमि पर प्रतिनिगरानीकर्ता क्रमांक 1 व 2 के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से विरत रहे।
- 10. उपरोक्त के विपरीत इसी विवादित भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य स्वत्व व आधिपत्य की घोषणा सहित स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु पूर्व से प्रचलित सिविल प्रकरण कमांक 11ए—14 सुल्तान सिंह बनाम नरेंद्र सिंह

आदि में व्यवहार न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 द्वारा दिनांक 19.08.14 को आवेदक / निगरानीकर्ता के अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 को स्वीकार कर प्रतिनिगरानीकर्तागण नरेंद्र सिंह व अरविंद सिंह के विरुद्ध इस आशय का आदेश प्रदान किया गया था कि वे प्रकरण के अंतरिम निराकरण तक अथवा अग्रिम आदेश होने तक विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता सुल्तान सिंह के कब्जा बर्ताव में बाधा उत्पन्न न करें।

- 11. व्यवहार न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिनिगरानीकर्तागण नरेंद्र सिंह व अरविंद सिंह द्वारा न्यायालय द्वितीय अपर जिला जज गोहद के समक्ष विविध अपील प्र०क० 49/14 प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 16.05.2015 को उक्त अपील निरस्त की गई है तथा विविध अपील में दिये गये उक्त आदेश के विरूद्ध भी उपरोक्त प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा माननीय म0प्र० उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन कमांक 4059/15 प्रस्तुत किये जाने पर वह दिनांक 18.01.2017 को निरस्त की गई है। इस प्रकार व्यवहार न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 गोहद का उक्त आदेश दिनांकित 19.08.14 को विविध अपील में एवं रिट पिटीशन में यथावत रखा गया है, जो योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 08.03.2017 तक किसी भी आदेश से निष्प्रभावी नहीं हुआ था और व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित प्रभावी आदेश दिनांकित 19.08.14 की जानकारी उभयपक्ष सहित योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद जिला भिण्ड को आलोच्य आदेश पारित किये जाने के पूर्व से ही रही है।
- 12. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य पूर्व से प्रचलित सिविल प्रकरण कमांक 11—ए/14 में व्यवहार न्यायालय द्वारा पूर्व से दिये गये प्रभावी आदेश दिनांक 19.08.14 की जानकारी होते हुये उसके विपरीत योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जबकि सम्मानीय न्याय दृष्टांत महंतराम शरनदास विरुद्ध हरीश मोहन (2001)10 एस.सी.सी. 758 में यह महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि जहां हक

की घोषणा से संबंधित विवाद सिविल न्यायालय में लम्बित हो वहां मामले में कोई भी उचित राहत सिविल कोर्ट ही दे सकता है और मिजस्ट्रेट को धारा 145 के अधीन याचिका स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं होती है। सम्मानीय न्यायदृष्टांत धनम सिंह विरूद्ध दलीप सिंह 2009(1) काइम्स 131 पंजाब, हिरयाणा में भी यह ठहराया जा चुका है कि जब सिविल वाद न्यायालय के समक्ष लम्बित हो, तब धारा 145 के अधीन मिजस्ट्रेट को कार्यवाही आरंभ नहीं करनी चाहिये। सम्मानीय न्यायदृष्टांत अमरेश तिवारी विरूद्ध लालताप्रसाद 2000(4) सप्रीम 665 सु.को. में भी सिविल कार्यवाही समान संपत्ति के संबंध में समान पक्षकारों के मध्य पूर्व से प्रचलित होने के कारण धारा 145 व 147 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही को बंद किया जाना उचित माना गया।

- 13. इसी प्रकार सम्मानीय न्यायदृष्टांत राम सुमेर पुरी महंत विरूद्ध उ०प्र० राज्य 1985 कि.लॉ.ज. 752 सु.को. में भी यह महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि जहां कि आधिपत्य के लिये अथवा स्वत्व घोषणा के लिये सिविल वाद हो और यह समान संपत्ति के संबंध में हो और जहां कि संपत्ति के संरक्षण के संबंध में सिविल न्यायालय के द्वारा अनुतोष दिया जा सकता हो तो ऐसी स्थिति में दं०प्र०सं० की धारा 145 की कार्यवाही को जारी रखना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। इसका कारण यह बताया गया कि सिविल न्यायालय स्वत्व व आधिपत्य के प्रश्न को निराकृत करने के लिये सक्षम होता है व सिविल न्यायालय का निर्णय मजिस्ट्रेट पर आबद्धकारी होता है तथा सम्मानीय न्याय दृष्टांत द्याराम विरूद्ध प्रवीण 1999(1) म०प्र० वीकली नोट 56 म०प्र० में भी पूर्व से सिविल वाद लंबित होने के कारण दं०प्र०सं० की धारा 145 के तहत कार्यवाही को दोषपूर्ण होना एवं प्रचलन योग्य नहीं होना पाते हुये इस आशय के निर्देश दिये गये कि पक्षकारगण सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर समुचित अनुतोष के लिये प्रार्थना करेंगे।
- 14. अतः उपरोक्तानुसार प्रतिपादित महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांतों सहित उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में योग्य अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद ने प्रकरण क0 13/2015 व धारा 145 जा०फौ० (अरविंद सिंह व अन्य विरुद्ध सुल्तान सिंह) में आलोच्य आदेश

दिनांक 08.03.2017 को पारित करने में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शिक्तयों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है और कदापि स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। परिणामतः उपरोक्तानुसार निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों के आलोक में निगरानीकर्ता पक्ष की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका उचित होने से स्वीकार कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 08.03.2017 एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है।

16. आदेश की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख अविलंब लौटाया जाये।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

